

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल/कुलाधिपति,
कुमाँँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।



**लोक भवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

संख्या : —

/जी0एस0(शिक्षा)/C3-7(VI)/2025
देहरादून : दिनांक 17 जुलाई, 2026

: आदेश :

एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन **प्रो० दीवान सिंह रावत, रसायन विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली** को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अग्रेतर आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए कुमाँँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का कुलपति नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल 03 वर्ष की पदावधि के उपरान्त दिनांक 20 जुलाई, 2026 को पूर्ण हो रहा है।

कुमाँँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के नियमित कुलपति की चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान होने एवं चयन प्रक्रिया में समय लगने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा-(10) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत **प्रो० दीवान सिंह रावत** को दिनांक 21 जुलाई, 2026 से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो तक के लिए कुमाँँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति पद पर नियुक्त किया जाता है।

हो—

(ले ज गुरमीत सिंह)
कुलाधिपति।

संख्या : **32076 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C3-7(VI)/2025**, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कुलपति-दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
7. प्रो० दीवान सिंह रावत, कुलपति-कुमाँँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
8. कुलसचिव, कुमाँँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रीना जोशी)

कुलाधिपति के अपर सचिव।